



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 395 -काविनी एवं वे0प्र0-29/पाका0लि0/2021-02-काविनी/2021

दिनांक 30 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.03.2021 को सम्पन्न 165(21)वीं बैठक में, सहकारी समितियों से कारपोरेशन कार्मिकों द्वारा लिये गये ऋण की वसूली हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) की बाध्यता को वर्तमान परिवेश में समाप्त किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

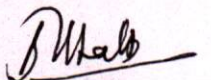
- (अ) परिषदादेश सं0 3448-N.G./SEB-IV-41-N.G./74 दिनांक 25.04.1975 तथा परिषदादेश सं0 2225-W.C./SEB(A.S.-XIX)/86-2-M/86 दिनांक 05.09.1986 के प्राविधानों को समाप्त करते हुये सहकारी समितियों को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से सहकारी समितियों से कारपोरेशन कार्मिकों द्वारा लिये जाने वाले ऋण की अदायगी के लिये कारपोरेशन किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। सहकारी समितियां तत्काल प्रभाव से कार्मिकों को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के सापेक्ष अपने स्तर से सीधे बैंक को Standing Instruction issue कर अथवा अन्य व्यवस्था के माध्यम से कार्मिकों के बैंक खातों से सीधे ऋण की वसूली सुनिश्चित कर सकते हैं।
- (ब) परिषदादेश सं0 2225-W.C./SEB(A.S.-XIX)/86-2-M/86 दिनांक 05.09.1986 के माध्यम से तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी समिति लि0, शक्ति भवन (मु0) से क्रय किये गये रू0 02 लाख के शेयर की धनराशि एवं उस पर अब तक देय लाभांश (dividend) सहित कारपोरेशन में वापस प्राप्त कर लिया जाये।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 395-(1)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/जल विद्युत निगम लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/द्वितीय/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशा0)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उपरोक्त बिन्दु-(अ) व बिन्दु-(ब) के नैष्ठिक अनुपालन हेतु।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उप सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. उ.प्र.पा.का.लि. एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों को ऋण प्रदान करने वाली समस्त सहकारी समितियां।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 23.03.2021 को सम्पन्न 165(21)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।


(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का0वि0नी0)

